

6

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या-2/आर-131/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० राजीव कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौनी, बेगूसराय का दिनांक-21.12.2022 से 09.03.2026 तक की अवधि को अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है:-

i	दिनांक-21.12.2022 से 23.12.2022 तक	-(कुल-03 दिन) असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-236 के आलोक में)
ii	दिनांक-24.12.2022 से 23.12.2025 तक	-(कुल-1096 दिन) अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में (विभागीय अधिसूचना संख्या- 2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
iii.	दिनांक-24.12.2025 से 09.03.2026 तक	-(कुल-76) पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग)।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-131/2026- 1857(2) पटना, दिनांक 3/8/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौनी, बेगूसराय/कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/डा० राजीव कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरौनी, बेगूसराय/प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव